

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प जिला सीकर

आदेश

प्राची के "खाता दुकरस्ती" प्रार्थना पत्र, प्राची के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्वधान मू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 138 व धारा 88 आरटीएक्ट के अनुसरण में ग्राम जिला सीकर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076 में खाता संख्या 16 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है।)
1	जिला सीकर गाँव	खाता संख्या - 16	श्रीपाल पुत्र पत्नी	श्रीपाल पुत्र पत्नी पत्नी श्री लाला... का (आगत) आदेश नूतन 9... करें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

(राजेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
दिनांक:- 06.12.21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 485  
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021  
पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

(राजेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर